राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक एफ 4(21) ग्रावि / VC / अनु–8 / वीसी / 2022 जयपुर, दिनांक 13/4/23

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की अध्यक्षता में दिनांक 20.03.2023 को विभागीय योजनाओं की अजमेर संभाग के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वीसी के माध्यम से समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, शासन सचिव महोदया ग्रामीण विकास, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, निदेशक पंचायती राज तथा राज्य स्तरीय योजना प्रभारी उपस्थित रहे।

समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये।

महात्मा गांधी नरेगा

आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा द्वारा योजना कियान्वयन से संबंधित एजेण्डा बिन्दुओं का जिलेवार प्रस्तुतीकरण किया गया तथा कम प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों को प्रगति बढ़ाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये गये :–

1. जिला नागौर व अजमेर में आधार सीडिंग कम होने के संबंध में चर्चा कर शत–प्रतिशत करने एवं ABPS की प्रगति को बढाने के निर्देश दिये गयें।
2. अमृत सरोवर अभियान में न्यूनतम 20 आदर्श अमृत सरोवरों का कार्य प्रत्येक जिला स्तर पर किया जाना है। जिला नागौर एवं अजमेर की प्रगति शुन्य होने को गंभीरता से लिया गया। बैठक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नागौर बैठक / वीसी में बिना सूचना के उपस्थित नहीं होने के संबध में कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।
3. जिला नागौर एवं भीलवाड़ा में गत वर्षों के सर्वाधिक अपूर्ण कार्य लंबित हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 तक अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।
4. पंचशाला अंतर्गत जिला नागौर में नर्सरी में लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 19 कार्य स्वीकृत किये जिनमें 11 प्रगतिरत हैं एवं एक भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है एवं न्यूट्रीगार्डन में 500 के विरुद्ध एक भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया। जिला टोंक में कैटलशैड अंतर्गत एक भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया। जिला नागौर की प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।
5. वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के कार्यों का ग्राम पंचायतवार बकाया मटेरियल भुगतान के निर्देश दिये।
6. जिला भीलवाड़ा में विकास अधिकारी पंचायत समिति कोटड़ी के विरुद्ध कार्यवाही / चार्जशीट तैयार कर मुख्यालय को अवगत करावें।
7. फार्म पौण्ड / टांका / डिग्गी निर्माण कार्य लक्ष्य के अनुसार जिला अजमेर, नागौर एवं टोंक द्वारा कम स्वीकृति एवं प्रगतिरत कार्यों की संख्या संतोषजनक नहीं होने के संबंध में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को शीघ्र स्वीकृति जारी कर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिये गये।
8. महात्मा गांधी नरेगा में Tax Payment की राशि जिला अजमेर में केकड़ी व पीसांगन, भीलवाड़ा में कोटड़ी में कम जमा किया गया है। समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सात दिवस में Tax Payment कर अवतगत कराने हेतु निर्देश प्रदान किये।
9. रिजेक्टिड ट्रान्जेकशन वर्ष 2021–22 एवं 2022–23 के नागौर एवं भीलवाड़ा में सर्वाधिक हैं को निस्तारण करने के निर्देश दिये गये।

10. एरिया ऑफिसर ऐप के संबंध में जिला भीलवाड़ा, अजमेर एवं टोंक को प्रत्येक स्तर पर अप्रेल 2022 से फरवरी 2023 अवधि में किये गये निरीक्षण लक्ष्यानुसार कम होने को गंभीरता से लिया। जिला भीलवाड़ा, अजमेर एवं टोंक की निरीक्षण प्रगति डीपीसी, एडीपीसी एवं विकास अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार निरीक्षण कर एरिया ऑफिसर ऐप पर अपलोड नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिये गये।
11. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 100 दिवस का रोजगार पूर्ण करने वाले परिवारों में गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जिला नागौर एवं अजमेर में अंतर ज्यादा है। शीघ्र 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को अतिरिक्त जॉब कार्ड़ जारी कर 25 दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण

1. वर्ष 2016–17 से 2021–22 तक स्वीकृत आवासों में द्वितीय किश्त भीलवाड़ा में 2797, टोंक में 4469 लंबित होने को गंभीरता से लिया गया समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को राजीविका अंतर्गत कार्मिकों की मोटीवेटर के रूप में सेवाएं लेकर लंबित किश्तों का भुगतान शीघ्र करवाने के निर्देश दिये गये हैं।
2. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्तों के भुगतान में अंतराल अधिक होने के कारण से आवास अपूर्ण है, ब्लॉकवार उक्त आवासों की ग्राम विकास अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर चिन्हित आवासों को पूर्ण करने की कार्यवाही करें।

राजीविका

1. वित्तीय वर्ष 2022–23 में गठित स्वयं सहायता समूहों के जिला नागौर में सबसे कम खाते खोले गये हैं एवं 3120 समूहों के खाते खोले जाने शेष हैं। जिला स्तर पर उक्त समूहों के खाता खुलवाने के आवेदन पत्र बैकों में प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।
2. वित्तीय वर्ष 2022–23 में revolving fund (T-1) में जिला अजमेर, नागौर एवं टोंक में लक्ष्यानुसार जारी नहीं किया गया। शीघ्र जारी करने के निर्देश दिये गये।
3. जिन समूहों में आर्थिक गतिविधियां नियमित रूप से की जा रही है, उनको बैंक ऋण से जोडने में नागौर एवं टोंक में प्रगति असंतोषजनक है। शीघ्र बैंक ऋण दिलवाने के निर्देश दिये गये।
4. उड़ान योजना में प्रोडक्शन यूनिट जिला अजमेर एवं टोंक द्वारा स्थापित नहीं की गई है। स्थापित की जाएं एवं भीलवाड़ा एवं नागौर में उत्पादन बढ़ाया जाए।
5. लक्ष्यानुसार राजीविका अंतर्गत कैन्टीन, मार्ट/स्टोर स्थापित करने के निर्देश दिये गये।
6. CLF office building हेतु विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी के साथ बैठक आयोजित कर समाधान करने के निर्देश दिये गये।

ग्रामीण विकास की अन्य योजनाएं

1. विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में 14वी एवं 15वी विधानसभा के स्वीकृत कार्यों में से प्रगतिरत कार्यों को मार्च 2023 तक पूर्ण किया जावे एवं अप्रारंभ कार्यों को प्रारंभ किया जावे।
2. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष में जिला अजमेर द्वारा 10 प्रतिशत, भीलवाड़ा द्वारा 16 प्रतिशत एवं टोंक द्वारा 5 प्रतिशत राशि का ही समायोजन करवाया गया है। प्रगतिरत कार्यों को 31 मार्च 2023 तक पूर्ण किया जावे। कार्य पूर्ण कराकर राशि का समायोजन की प्रगति ई–वर्क पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिये गये।

3. मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना में एक करोड़ रुपये के विरुद्ध समायोजन का प्रतिशत कम है। इससे वर्ष 2023–24 में प्रथम किश्त हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत राशि का समायोजन आवश्यक है। योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों को पूर्ण कर समायोजन करने के निर्देश दिये गये।
4. मगरा क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत जिला अजमेर में 19 कार्य अप्रारंभ एवं जिला भीलवाड़ा में 83 कार्यों में से 83 कार्य अप्रारंभ है। शीघ्र प्रारंभ कराने के निर्देश दिये गये।
5. महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना में जिला भीलवाड़ा एवं टोंक को कार्य पूर्ण कर राशि समायोजन के निर्देश दिये गये।

पंचायती राज

अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, ग्रावि एवं पंरावि की अध्यक्षता में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ **अजमेर संभाग** की विभागीय योजनाओ समीक्षा हेतु **दिनांक 20.03.2023 को अपराह्न 03:30 बजे** विडियो कॉन्फ्रेसिंग आयोजित की गई। जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्न निर्देश प्रदान किये गऐ–

1. SFC, FFC तथा RGSA योजनाओं में सभी जिलों की प्रगति राज्य स्तरीय औसत से कम है, उन पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देकर प्रगति में सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया।
2. RGSA योजना के अन्तर्गत IGPRS द्वारा प्रशिक्षण के लिए जो राशि हस्तांतरित की गई, उसका तुरंत समायोजन करवाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलम्ब भिजवायें।
3. RGSA योजना के अन्तर्गत जो कार्य पूर्ण हो चुके है, उनको RGSA Portal पर दर्ज करवाये। साथ ही स्वीकृत निर्माण कार्यों को दि0 31.03.2023 तक पूर्ण कर SNA से राशि हस्तांतरित करवाये।
4. वर्ष 2019 में नवसृजित पंचायत समिति जिनकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है, उनकी वित्तीय स्वीकृति शीघ्र जारी कर टेंडर आमंत्रित कर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराये जावें एवं अजमेर ग्रामीण मे नवसृजित पंचायत समिति के लिए भूमि आवंटन की शीघ्र कार्यवाही करवाये।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजमेर, जिला कलक्टर व अजमेर विकास प्राधिकरण से वार्ता कर पंचायत समिति हेतु भूमि–आवंटन की स्वीकृति जारी करवायें।
6. अटल भू–जल योजना के अंतर्गत जिन जिलों (अजमेर, भीलवाड़ा) में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उनकी व्यक्तिगत रूप से समीक्षा कर, उन्हें यथाशीघ्र प्रारंभ करवायें।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ऑनलाइन ऑडिटिंग के लिए लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों से प्रगति सूचना प्राप्त कर अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय को उपलब्ध करावें।
8. स्वामित्व प्रगति रिपोर्ट से असंतोष व्यक्त किया गया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि तत्काल समीक्षा कर प्रगति मे सुधार करावें।
9. जिला अजमेर में कम ड्रोन फ्लाई औसत तथा सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त MAP-1 पर ग्राउंड ट्रेकिंग कर वापस नहीं लौटाए गए नक्शों की संख्या 29 होने के कारण शीघ्र 2 सप्ताह से पुराने समस्त नक्शों को लौटाने के निर्देश दिए गए।
10. जिला टोंक में शीघ्र जिला सेचुरेट करने तथा राज्य में सर्वाधिक MAP-1 जिला स्तर पर 510 नक्शे ग्राउंड ट्रेकिंग के लिए लंबित होने से आगामी 15 दिन मे 2 सप्ताह से पुराने नक्शे सर्वे ऑफ इंडिया में वापस जमा कराने के निर्देश दिए गए।
11. जिला नागौर में ड्रोन फ्लाई के उपरांत 248 MAP-1 अब तक प्राप्त हो गए है। ग्राउंड ट्रेकिंग का कार्य समयबद्व करने के निर्देश दिए गए।

स्वच्छ भारत मिशन

1. व्यक्तिगत शौचालय एवं सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का बकाया भुगतान अविलम्ब किया जावे।
2. ठोस एवं तरल कचरा प्रबन्धन तथा ओडीएफ प्लस के वर्ष 2022–23 के लक्ष्यों की 31.03.2023 तक प्रगति सुनिश्चित की जावे।
3. शौचालय विहीन आंगनवाड़ी केन्द्रों में 31.03.2023 तक शौचालय निर्माण सुनिश्चित किया जावे।
4. रेट्रोफिटिंग की प्रगति की गति बढ़ाई जावे।
5. मॉडल ओडीएफ प्लस की श्रेणी के गांवों का सत्यापन 31.03.2023 पूर्ण करवाया जावे।

(बी.एल.वर्मा)
परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव,
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3 निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायतीराज।
4 निजी सचिव, आयुक्त, पंचायतीराज।
5 निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भूसंरक्षण विभाग।
6 निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन।
7 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
8 जिला कलक्टर अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक ।
9 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा, टोंक।
10 शासन उप सचिव(प्रशासन), ग्रावि।
11 परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव, (एसएपी/मो0एवंमू0), ग्रामीण विकास।
12 परि. निदे. एवं शासन उप सचिव, महात्मा गांधी नरेगा।
13 परियोजना निदेशक(प्रशासन), राजीविका।
14 अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण विकास/मनरेगा/पंचायतीराज।
15 संयुक्त निदेशक(मो), पंचायतीराज।
16 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को पत्र विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in पर अपलोड करने हेतु।

परि. निदे. एवं पदेन उप सचिव
(मो. एवं मू.)